न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या - 123/2020 वाद
GCMS No. - 2020/00288

श्री शांतिलाल पिता भुवाना जाति कुमावत उम्र 55 वर्ष निवारी मिण्डाना तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–वादी

//बनाम//

1. श्री भेरूलाल पिता भुवाना जाति कुमावत उम्र 60 निवासी मिण्डाना तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ राज0।
2. श्री रामचन्द्र पिता श्री केशुराम जाति कुमावत उम्र 60 वर्ष निवासी मिण्डाना तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिनोता जरिये शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. उप पंजीयक निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

––प्रतिवादीगण

<u>दावा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 53,88.188. 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थितः–1–श्री मदनलाल चपलोत– अधिवक्ता वादी
2– श्री कृष्णपालसिंह –अधिवक्ता प्रतिवादी नं0 1 व 2

::निर्णय:: दिनांक 12.07.2023

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 53,88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी `व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा मिण्डाना पटवार हल्का मिण्डाना तहसील निम्बाहेडा में स्थित आराजी नं 217 रकबा 0.6600 हैक्टेयर, आराजी नं 219 रकबा 0.5800 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 220 रकबा 1.0300 हैक्टेयर स्थित हैं ।

2. उक्त आराजियात पर वादी [illegible] दी नं0 1 व 2 बाहमी तौर से बंटवारा कर [illegible] आ रहे थे जिसके अनुसार प्रतिवादी नं0 2 [illegible] के हिस्से [illegible] राजी नं0 220 में से उत्तरी दिशा का रकबा 0'.5[illegible] शांतिलाल के हि[illegible] क्षिणी दिशा का रकबा 0.2300 हैक्टेयर [illegible] एवं प्रतिवादी नं0 1 [illegible] ल के हिस्से में दक्षिणी पूर्व दिशा रकबा 0.2200 हैक्टेयर हिस्से में आया और इसी अनुसार मौके पर शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। इसी प्रकार आराजी नम्बर 219 में से पश्चिम दिशा का रकबा 0.4000 हैक्टेयर भूमि वादी शांतिलाल के हिस्से में पांति में आई एवं पूर्व दिशा का रकबा 0.1800 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 भेरूलाल के हिस्से में पांति में आया और इसी अनुसार मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:08:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 217 में से पश्चिम दिशा का रकबा 0.4000 हैक्टेयर भाग वादी शांतिलाल के हिस्से में पांति में आया एवं पूर्व दिशा का रकबा 0.2600 हैक्टेयर भाग प्रतिवादी संख्या 1 भेरूलाल के हिस्से में पांति में आया और इसी अनुसार मौके पर शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। इसलिए वादी उपरोक्त वर्णित अनुसार मौके पर काबिज अनुसार आराजियात में खातेदारी घोषणा करा कर, इसी अनुसार बंटवारा भी कराकर अलग–अलग खातेदारी में दर्ज कराना चाहता है।

3. पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आपसी सहमति से बंटवारा कराया परन्तु मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा नहीं हुआ तथा राजस्व अभियान में अनपढ़ का फायदा उठाते हुए गलत रूप से बंटवारा कर दिया तथा कहा कि मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा कर रहे हैं परन्तु मौके कब्जे अनुसार नहीं किया, जिससे मौके पर काश्त करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए वादी अपने स्वयं के एवं प्रतिवादी नं 1 व 2 अपने अपने हिस्से पाति में आई भूमि का बंटवारा एवं खातेदारी घोषणा उपरोक्त चरण में वर्णित अनुसार कराना चाहता है तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कराना चाहता है, ताकि भविष्य मे उक्त आराजियात के रकबे को लेकर कोई विवाद नहीं हो, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आना कानी कर रहे है इसलिये वादी को यह दावा बंटवारा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत करना पड़ा है। इस आशय का वाद वादी ने पेश किया।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया. प्रतिवादीगण द्वारा दिनाक 7/9/2022 को राजीनामा इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजियात का मौके व कब्जे अनुसार घोषणा की जाकर वादग्रस्त आराजियात का बटवारा मौके पर काबिज अनुसार किया जाकर वादी का हिस्सा अलग दर्ज किया जायें, तथा प्रतिवादी न० 1 का हिस्सा अलग दर्ज किया जाये तथा प्रतिवादी नम्बर 2 का हिस्सा अलग दर्ज किया जावे। इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी न० 1 व 2 का हक हिस्सा बटवाडा कर अलग किया जावें और वाद वादी राजीनामें अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

5. बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर व राजीनामे के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई, उभयपक्षो की बहस पर मनन करने व राजीनामे को दृष्टिगत रखते हुए वाद वादी राजीनामें अनुसार दिनांक 07.09.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार निम्बाहेडा को कमिश्नर 1000/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया गया कि विवादित भूमि वाके मौजा मिण्डाना पटवार हल्का [illegible] तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित आराजी नम्बर 217 रकबा [illegible] हैक्टेयर आराजी नम्बर 219 रकबा 0.58 हैक्टेयर आराजी नम्बर [illegible] रकबा 1.0300 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा उनके [illegible] रेकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे अनुसार किया [illegible] तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2023/601 दिनांक 10.04.2023 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये है जो माफिक आदेशानुसार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:08:33 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा मिण्डाना पटवार हल्का मिण्डाना का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:–

सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा

1—श्री शान्तिलाल पिता भुवाना कुमावत सा.देह खातेदार रहन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा बिनोता।

खात संख्या	आराजी नं	रकबा(है.)	लगान रूपये में
347	217/1 (पश्चिम दिशा)	0.40	7.60
246	219/1 (पश्चिम दिशा)	0.39	7.60
	कुल किता— 2	0.79 हैक्टेयर	15.20 रूपये

2— श्री भेरूलाल पिता भुवाना कुमावत सा.देह खातेदार रहन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा निम्बाहेड़ा।

खात संख्या	आराजी नं.	रकबा	लगान रूपये में
347	217 मीन (पूर्व दिशा)	0.26	4.94
246	219 मीन (पूर्व दिशा)	0.18	3.42
66	220/1 मीन(दक्षिण पूर्वी दिशा)	0.22	4.18
	कुल किता—3	0.66 हैक्टेयर	12.54 रूपये

3— श्री रामचन्द्र पिता केशूराम कुमावत सा.देह खातेदार

खाता संख्या	आराजी नं	रकबा(है.)	लगान रूपये में
66	220 मीन (उत्तर दिशा)	0.58	11.02
	कुल किता— 1	0.58 हैक्टेयर	11.02 रूपये

4— श्रीमति गोदावरी बाई पत्नि शांतिलाल कुमावत सा.देह खातेदार

खाता संख्या	आराजी नं	रकबा(है)	लगान रूपये में
66	220/2 (दक्षिण पश्चिम दिशा)	0.23	4.37
	कुल किता—1	0.23	4.37 रूपये

5— श्री शान्तिलाल , भेरूलाल, दशरथ पिता भुवाना, रामचन्द्र पिता केशूराम, गोदावरी बाई पत्नि शांतिलाल कुमावत सा.देह खातेदार

खाता संख्या	आराजी नं	रकबा(है)	लगान रूपये में
246	219/2	0.01	—
	कुल किता—1	0.01 हैक्टेयर	—

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:08:33 IST
Reason: SelfAttested

12/7/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियॉ)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः– 123 / 2020 वाद
GCMS No. - 2020 / 00288

श्री शांतिलाल पिता भुवाना जाति कुमावत उम्र 55 वर्ष निवासी मिण्डाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज0।

–वादी

/ / बनाम / /

1. श्री भेरूलाल पिता भुवाना जाति कुमावत उम्र 60 निवासी मिण्डाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
2. श्री रामचन्द्र पिता श्री केशुराम जाति कुमावत उम्र 60 वर्ष निवासी मिण्डाना तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ राज0।
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिनोता जरिये शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा बिनोता तहसील निम्बाहेडा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
5. उप पंजीयक निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।

––प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53,88.188. 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण आज वादी की और से अधिवक्ता श्री मदनलाल चपलोत एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता श्री कृष्णपाल सिंह की उपस्थित में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत हुई। प्रकरण में दिनांक 07.09.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसमें तहसीलदार निम्बाहेडा को 1000 / –रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये गये थे कि विवादित भूमि वाके मौजा मिण्डाना पटवार हल्का मिण्डाना तहसील निम्बाहेडा में स्थित आराजी नम्बर 217 रकबा 0.6600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 219 रकबा 0.58 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 220 रकबा 1.0300 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा उनके खातेदारों के मध्य उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे अनुसार किया जावें। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र [illegible] राजस्व / 2023 / 601 दिनांक 10.04.2023 के माध्यम [illegible] न्यायालय को प्रस्तुत किया। तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त फर्द [illegible]जन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है। फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:08:33 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है । विवादित भूमि मौजा मिण्डाना पटवार हल्का मिण्डाना का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:–

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

शान्तिलाल बनाम भेरूलाल
GCMS No- 2020/00288
प्रकरण संख्या 123/2020

1–श्री शान्तिलाल पिता भुवाना कुमावत सा.देह खातेदार रहन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा बिनोता।

खात संख्या	आराजी नं	रकबा(है.)	लगान रूपये में
347	217/1 (पश्चिम दिशा)	0.40	7.60
246	219/1 (पश्चिम दिशा)	0.39	7.60
	कुल किता– 2	0.79 हैक्टेयर	15.20 रूपये

2– श्री भेरूलाल पिता भुवाना कुमावत सा.देह खातेदार रहन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा निम्बाहेड़ा।

खात संख्या	आराजी नं.	रकबा	लगान रूपये में
347	217 मीन (पूर्व दिशा)	0.26	4.94
246	219 मीन (पूर्व दिशा)	0.18	3.42
66	220/1 मीन(दक्षिण पूर्वी दिशा)	0.22	4.18
	कुल किता–3	0.66 हैक्टेयर	12.54 रूपये

3– श्री रामचन्द्र पिता केशूराम कुमावत सा.देह खातेदार

खाता संख्या	आराजी नं	रकबा(है.)	लगान रूपये में
66	220 मीन (उत्तर दिशा)	0.58	11.02
	कुल किता– 1	0.58 हैक्टेयर	11.02 रूपये

4– श्रीमति गोदावरी बाई पत्नि शांतिलाल कुमावत सा.देह खातेदार

खाता संख्या	आराजी नं	रकबा(है)	लगान रूपये में
66	220/2 (दक्षिण पश्चिम दिशा)	0.23	4.37
	कुल किता–1	0.23	4.37 रूपये

5– श्री शान्तिलाल , भेरूलाल, दशरथ पिता भुवाना, रामचन्द्र पिता केशूराम, गोदावरी बाई पत्नि शांतिलाल कुमावत सा.देह खातेदार

खाता संख्या	आराजी नं	रकबा(है)	लगान रूपये में
246	219/2	0.01	–
	कुल किता–1	0.01 हैक्टेयर	–

उपर्युक्तानुसार एक [illegible] राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धि [illegible] के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे। [illegible] ट्रस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:08:33 IST
Reason: SelfAttested

आज तारीख 12.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडियाँ)
सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलेक्टर ★ निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) (राज.)